निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या /SR-128/2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उप निबन्धक - द्वितीय हरिद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उप निबन्धक - द्वितीय हरिद्वार के माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अजय कुमार मिश्रा एवं श्री विनय कुमार द्विवेदी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 17.01.2019 से 25.01.2019 तक श्री आर.एस.नेगी-II, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **(1)परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री रमेश कुमार केशरी एवं श्री अजय कुमार मिश्रा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 19.08.2017 से 29.08.2017 तक श्री अशोक कुमार, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** -

3. (ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत वर्षो मे कार्यालय (आबकारी विभाग) द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2015-16	5721.23
2016-17	5216.43
2017-18	5401.08

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)`	बचत (-)`
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2015-16			शून्य					
2016-17								
2017-18								

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई -A--श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

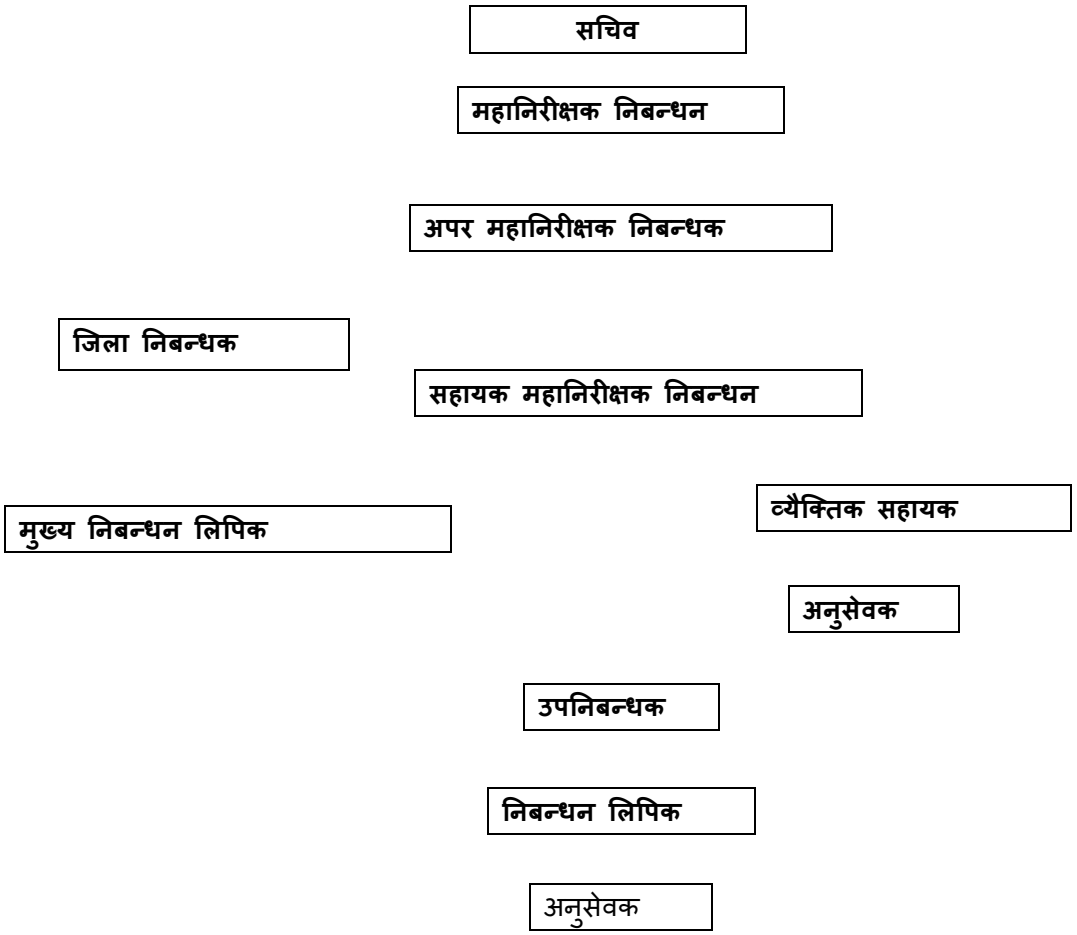

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उप निबन्धक - द्वितीय हरिद्वार** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-**

राजस्वः माह 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- लागू नहीं ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 "ब"

प्रस्तर -01: अवमूल्यांकन के फलस्वरूप स्टाम्प शुल्क राजस्व की हानि ₹9.80 लाख।

जिला अधिकारी, हरिद्वार द्वारा उत्तर प्रदेश स्टाम्प (संपत्ति का मूल्याकंन) नियमावली 1997 (उत्तराखण्ड में यथा संशोधित) के अन्तर्गत उत्तराखंड राज्य के जनपद हरिद्वार में वर्तमान में प्रवृत्त सर्कल दरों जो दिनांक 10 अगस्त 2016 से प्रभावी थी के सामान्य अनुदेशिका केनिर्देशिका के क्रम संख्या (4) पर उल्लेखित है कि ऐसी दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्याकंन किए जाने जिसमें खुला क्षेत्र भी सम्मिलित हो तो निर्मित क्षेत्रफल का मूल्याकंन, मूल्यांकन सूची में निर्धारित दर जिसमें भूमि एवं निर्माण की दोनों दरें सम्मिलित है, के अनुसार एवं संलग्नक खुली भूमि का मूल्याकंन अकृषि भूमि हेतु निर्धारित दर की 1.10 गुनी दर के आधार पर आंकलित किया जाएगा तथा क्रम संख्या 12 में उल्लेख किया गया था कि विलेख मे वर्णित भूमि /संपत्ति के आवासीय /औद्दोगिक /गैरवाणिज्यिक भवन होने की स्थिति मे भवनो के निर्माण स्तर के संबंध मे संबन्धित स्वीकृता प्राधिकारी/संस्था/विकास प्राधिकरण द्वारा जिस श्रेणी का मानचित्र स्वीकृत हो उसका विलेख मे उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त, विलेख मे भूखण्ड का क्षेत्रफल,कुल निर्मित क्षेत्रफल अंकित किए जाने के साथ भवन का स्वीकृत मानचित्र /मान्यताप्राप्त मानचित्रकार द्वारा निर्मित मानचित्र लगाया जाना तथा निर्माण की श्रेणी के संबंध मे श्रेणी लिंटरपोश ,टीनपोश अथवा फ्लैट होने का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा|

कार्यालय उपनिबन्धक द्वितीय हरिद्वार के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच (जनवरी 2019में पाया गया किबही सं० 1, जिल्द 3660 क्रमांक 2822 दिनांक 15.06.2017 को निबंधित विलेख में वर्णित संपत्ति एक व्यावसायिक होटल था जिसके भूमि का क्षेत्रफल 1021.74 वर्ग मी हैं। होटल का कवर्ड एरिया, छः मंजिलों मे,बेसमेंट (हाल),भूतल(रिसिप्शन एवं रेस्टोरेन्ट), प्रथम तल,द्वितीय तल,तृतीय तल एवं चतुर्थ तल में किया गया था। जिनका कुल सुपर एरिया 1561.34 वर्ग मी था, इस आधार पर,प्रत्येक तल का औसतन सुपर एरिया 260.22 वर्ग मी आंगणित होता है। इसप्रकार,अवशेष खुली भूमि का क्षेत्रफल 761.52 वर्ग मी होना था। परंतु, विलेख में न तो खुली भूमिका जिक्र किया गया न ही खुली भूमि का मूल्यांकन कियागया जबकि, विलेख मे संलग्न मानचित्र मे संपति में आधे से अधिक खुली भूमि स्पष्ट दर्शाई गयी थी | इसप्रकार खुली भूमि का मूल्यांकन न करते हुए

संपत्ति का मूल्याकन किए जाने से स्टाम्प शुल्क कम आरोपित किया गया था | स्टाम्प शुल्क की गणना निम्नानुसार होनी थी :

सभी छः तलो का कॉवर्ड एरिया\ मय सुपर एरिया =1561.34 वर्ग मी

अतः प्रत्येक तल का औसतन कॉवर्ड एरिया मय सुपर एरिया =260.22 वर्ग मी

इसप्रकार खुली भूमि का क्षेत्रफल = 761.52 वर्ग मी(1021.74-260.22)

अतः खुली भूमि का मूल्यांकन = 761.52 वर्ग मीx 1.1x 22950 रुपये प्रति वर्ग मी x1.15

= रु 2,21,08,258/-

(18 मी से अधिक मार्ग होने पर 15% कि वृद्धि एवं खुली भूमि वाणिज्यिक होने के कारण 10% कि वृद्धि)

तथा सर्किल दर से कुल कॉवर्ड एरिया मय सुपर एरिया का दिया गया मुल्यांकन =रु 7,75,000,00/-

संपत्ति का कुल मूल्य = रु 9,96,08,258/-(7,75,00,000+2,21,08,258)

अतः उक्त मूल्यांकित संपत्ति पर नियमानुसार देय स्टम्प शुल्क =रु 49,80,412/- (रु 9,96,08,258/-x5%)

जमा किया गया स्टम्प शुल्क=रु 40,00,000/-अतः देय स्टम्प शुल्क मे कमी =रु9,80,412/-

साथ ही उक्त पायी गई कमी धनराशि के जमा होने तिथि तक नियमानुसार ब्याज भी देय होगा |

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने कहा कि प्रकरण में अध्ययनोपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी |

स्टाम्प शुल्क राजस्व की हानि रु09.80लाख का प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता हैं

भाग 2 'ब'

प्रस्तर -02: अवमूल्यांकन के फलस्वरूप स्टाम्प शुल्क की हानि रु043.35 लाख

जिला अधिकारी, हरिद्वार द्वारा उत्तर प्रदेश स्टाम्प (संपत्ति का मूल्याकंन) नियमावली 1997 (उत्तराखण्ड में यथा संशोधित) के अन्तर्गत उत्तराखंड राज्य के विभिन्न जनपदों में वर्तमान में प्रवृत्त सर्कल दरों जो दिनांक 10 अगस्त 2016 से प्रभावी थी के सामान्य अनुदेशिका के क्रम संख्या 12 में उल्लेख किया गया था कि विलेख मे वर्णित भूमि /संपत्ति के आवासीय /औद्दोगिक/गैरवाणिज्यिक भवन होने की स्थिति मे भवनो के निर्माण स्तर के संबंध मे संबन्धित स्वीकृता प्राधिकारी /संस्था /विकास प्राधिकरण द्वारा जिस श्रेणी का मानचित्र स्वीकृत हो उसका विलेख मे उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा इसके अतिरिक्त विलेख मे भूखण्ड का क्षेत्रफल ,कुल निर्मित क्षेत्रफल अंकित किए जाने के साथ भवन का स्वीकृत मानचित्र/मान्यताप्राप्त मानचित्रकार द्वारा निर्मित मानचित्र लगाया जाना तथा निर्माण की श्रेणी के संबंध मे श्रेणी लिंटरपोश ,टीनपोश अथवा फ्लैट होने का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा|

कार्यालय उपनिबन्धक द्वितीय हरिद्वार के लेखा अभिलेखों (04/2017 से 03/2018) लेखापरीक्षा के जाँच में पाया गया कि बही-01, जिल्द -3150 विलेख सं-3790 दिनांक 21-06-2017 में हस्तान्तरित सम्पत्ति में दुकान(143.95 वर्ग मीटर) तथा लॉज (223.81 वर्ग मीटर),कुल व्यवसायिक कवर्ड एरिया 367.76 वर्ग मीटरघोषित किया गया पाया जो 367.76 वर्ग मीटर भूमि पर निर्मित थे। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ तल पर आवासीय भवन बने हैजिनका कवर्ड एरिया 1322.30 वर्ग मीटर बताया गया है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ तल पर निर्माण भवन को आवासीय बताया जा रहा है। संलग्न मानचित्र से स्पष्ट था कि उक्त भवन आवासीय न होकर अन्य वाणिज्यक प्रतिष्ठान था। साथ ही साथ उक्त सम्पत्ति वाणिज्यक प्रतिष्ठान द्वारा क्रय किया जा रहा था । अतःनिर्मित दुकानों को छोड़कर शेष भवन अन्य वाणिज्यक प्रतिष्ठान की भांति निम्नानुसार मूल्यांकन किया जाना था :

दुकान का मूल्यांकन =143.95 वर्ग मीटर x 74000प्रति वर्ग मीटर
=रु 1,06,53,000/-

लॉज का मूल्यांकन =223.81 वर्ग मी.x 69,000प्रति वर्ग मीटर
=रु 1,54,43,000/-

चारों मंजिल का मूल्यांकन=1322.3 वर्ग मी.x 69,000 रू प्रति वर्ग मी.

=रु 9,12,38,700/-

इस प्रकार सम्पत्ति का कुल मूल्यांकन=11,73,34,700/- (1,06,53,000/- + 154,43,000 + 9,12,38,700)

कुल सम्पत्ति के मूल्य पर देय स्टाम्प शुल्क =58,66,735/- (11,73,34,700 x5%)

परन्तु 30 फीट चौडी सडक होने के कारण स्टाम्प शुल्क =61,60,071/-

दिया गया स्टाम्प शुल्क =18,25,000/-

स्टाम्प शुल्क में प्राप्त कमी =43,35,071/-

साथ ही उक्त पायी गई कमी धनराशि के जमा होने की तिथि तक नियमानुसार ब्याज भी देय होगा |

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने कहा कि प्रकरण में अध्ययनोपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी |

स्टाम्प शुल्क राजस्व की हानि रु043.35लाख का प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता हैं

भाग 2 (ब)

प्रस्तर-3 स्टाम्प शुल्क राजस्व की हानि ₹ 6.15

जिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा उत्तर प्रदेश स्टाम्प (संपत्ति का मूल्याकंन) नियमावली 1997 (उत्तराखण्ड में यथा संशोधित) के अन्तर्गत उत्तराखंड राज्य के विभिन्न जनपदों में वर्तमान में प्रवृत्त सर्कल दरों जो दिनांक 14 अगस्त 2016 से प्रभावी थी के सामान्य अनुदेशिका के क्रम संख्या 8 में उल्लेख किया गया था कि मूल्यांकन सूची में वर्णित प्रमुख/मुख्य मार्गो पर पड़ने वाले समसत नगरीय क्षेत्र, अर्धनगरिय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र की संपत्तियो के अंतरण विलेख पर संपत्ति के प्रमुख/मुख्य मार्ग के दोनों ओर की 100 मीटर दूरी तक प्रमुख/मुख्य मार्गों हेतु निर्धारित दरें लागू होंगी।

उप-निबंधक-द्वितीय, हरिद्वार के अभिलेखों (04/2017 से 03/2018) की जांच में पाया कि बही संख्या – 1, जिल्द – 3308, क्रमांक – 6744, दिनांक - 11 अक्तुबर, 2017 निबंधित किया गया था जिसमें भूमि खसरा न0 873 भूमि स्थित ग्राम अतमलपुर बौंगला, परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार विक्रीत रकबा 0.3810 हे0 की मालियत तहसील हरिद्वार के अर्धनगरीय क्षेत्रों की दर के आधार पर ₹ 5,00,00,000/- प्रति हेक्टेयर की दर से मूल्यांकित कर ₹ 2,20,00,000/- किया गया था। संपत्ति को मुख्य मार्ग पर दर्शाया गया था । जबकि इन्ही क्रेता व विक्रेता के मध्य एक और विलेख बही संख्या – 1, जिल्द – 3308, क्रमांक – 6747, दिनांक - 11 अक्तुबर, 2017 वर्णित भूमि खसरा न0 870 विक्रीत रकबा 0.4262 हे0 भूमि स्थित ग्राम अतमलपुर बौंगला, परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार की मालियत तहसील हरिद्वार के अर्धनगरीय क्षेत्रों की दर के आधार पर ₹ 66,00,000/- प्रति हेक्टेयर की दर से मूल्यांकित कर ₹ 28,13,000/= किया गया था तथा विक्रय मालियत ₹ 1,22,00,000/- दर्शाते हुए विलेख निष्पादित किया गया था।

दोनों दस्तावेजों में विक्रेता की एक ही स्थलीय फोटो लगाई गयी थी। जिससे स्पष्ट था की पूरी संपत्ति मुख्य मार्ग पर एक ही थी। प्रमुख मार्ग से 100 मीटर से अधिक दूरी पर संपत्ति की अलग दर का अनुचित लाभ लेने के लिए दूसरे निबंधन विलेख में संपत्ति को मुख्य मार्ग से 200 मी से अधिक दूरी दर्शाते हुए निबंधन किया गया। तथ्यों को छुपाने के लिए दर अनुसूची में उल्लेखित चौहदी का भी दस्तावेजों में उल्लेख नहीं किया गया था। अत: विलेख 6747, दिनांक - 11 अक्तुबर, 2017 पर निम्नानुसार स्टाम्प शुल्क देय था।

भूमि - खसरा न0 870, रकबा 0.4262 हे0

सर्किल रेट – ₹ 5,00,00,000/-

संपत्ति का मूल्याकंन – ₹ 2,13,10,000/-

प्रमुख मार्ग पर 15% की दर से संपत्ति का मूल्याकंन– ₹ 2,45,06,500/-

प्रभार्य स्टाम्प शुल्क – ₹ 12,25,325/-

भुगतान किया स्टाम्प शुल्क- ₹ 6,10,000/-

शेष स्टाम्प शुल्क – ₹ 6,15,325/-

साथ ही उक्त पायी गई कमी धनराशि के जमा होने तिथि तक नियमानुसार ब्याज भी देय होगा |

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने कहा कि प्रकरण में अध्ययनोपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी |

स्टाम्प शुल्क राजस्व की हानि ₹ 6.15लाख का प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता हैं

भाग-2(ब)

प्रस्तर सं० 4 : निबंधन शुल्क का अनारोपण ₹ 75,000/-

भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम – 1908 के परिशिष्ठ - 7 की टिप्पणी 1 में प्रावधान किया गया है कि किसी दस्तावेज़ के निबंधन के लिए फीस जिसमें सुभिन्न मामले समाविष्ट हों, ऐसे फीस योग्य होगी, जो प्रत्येक ऐसे विषय को समाविष्ट करने वाली या उससे संबन्धित पृथक-2 दस्तावेज़ पर प्रभार्य होगी ।

(1) उप-निबंधक-द्वितीय, हरिद्वार के अभिलेखों (04/2017 से 03/2018) बही सं० 1, जिल्द 3109 क्रमांक 2822 दिनांक 15.05.2017 को निबंधित विलेख में वर्णित संपत्ति मे बिक्रेता दो है, आयकर प्रमाणपत्र मे दोनों विक्रेता अपने अपने अंश की धनराशि प्राप्त की है तथा टी0डी0एस0 भुगतान कर रहे हैं अत : दो सुभिन्न प्रकरण होने से दो निबंधन शुल्क अधिकतम 5,0000/- वसूल किया जाना चाहिए था जबकि निबंधन शुल्क मात्र ₹25000/- ही वसूल किया गया इसप्रकार ₹ 25,000/- का निबन्धन शुल्क कम वसूल किया |

(2) उप-निबंधक-द्वितीय, हरिद्वार के अभिलेखों (04/2017 से 03/2018) बही -01 जिल्द3459 क्रमांक 845 दिनांक 29-01-2018 को निबंधित विलेख की जांच में पाया कि विलेख में दोनों विक्रेताओं के संबंध अथवा दोनों द्वारा संपत्ति संयुक्त क्रय करने संबंधी न तो कोई घोषणा थी न ही दस्तावेज़ जिससे प्रमाणित हो की संपत्ति एक थी। पुन: विलेख में विक्रीत संपत्ति का ब्यौरा भूमि को भूमिधरी बताया गया पाया, भूमिधरी संपत्ति किसी एक परिवार को विरासत में प्राप्त संपत्ति ही हो सकती है। जबकि, विलेख में उल्लेखित संपत्ति के दो अलग-अलग परिवार के व्यक्तियों द्वारा विक्रय की जा रही थी तथा विक्रय प्रतिफल तो बराबर राशि में बाटी गयी थी। जिससे स्पष्ट था कि दो सुभिन्न विक्रेता संपत्ति विक्रय कर रहे थे।

अत: दोनों सुभिन्न प्रकरणों की भांति दो अलग-अलग निबंधन शुल्क लिया जाना था। जिसकी गणना निम्नवत है।

कुल विक्रय राशि – ₹ 31,02,000/=

प्रथम विक्रेता द्वारा प्राप्त राशि = ₹ 15,51,000/=

देय निबंधन शुल्क = 2% अधिकतम ₹ 25000/=

द्वितीय विक्रेता द्वारा प्राप्त राशि = ₹ 15,51,000/=

देय निबंधन शुल्क = 2% अधिकतम ₹ 25000/=

कुल देय निबंधन शुल्क ₹ 25000/- + ₹ 25000/- = ₹ 50,000/-

जमा निबंधन शुल्क = 25000/-

जमा निबंधन शुल्क मे कमी =25000/-

(3) उप-निबंधक-द्वितीय, हरिद्वार के अभिलेखों (04/2017 से 03/2018) बही सं० 1, जिल्द 3144 क्रमांक 3660 दिनांक 15.06.2017 को निबंधित विलेख में वर्णित संपत्ति मे क्रेता तीन है, आयकर प्रमाणपत्र मे तीनों क्रेता द्वारा टी0डी0एस0 भुगतान कर रहे हैं अत: सुभिन्न प्रकरण होने से तीन निबंधन शुल्क अधिकतम 75,000/- वसूल किया जाना चाहिए था जबकि निबंधन शुल्क मात्र 25000/- ही वसूल किया गया इसप्रकार ₹ 25,000/- का निबन्धन शुल्क कम वसूल किया |

इस प्रकार उपरोक्त विलेख पत्रो में कुल निबंधन शुल्क ₹ 75000/- की वसूली न किए जाने के कारण राजस्व हानि हुई थी

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने कहा कि प्रकरण में अध्ययनोपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी |

अत: निबंधन शुल्क ₹ 50000/- अनारोपित रहने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रारम्भ की स्थिति		निस्तारण		अवशेष	
	2 अ	2 ब	2 अ	2 ब	2 अ	2 ब
10/13-14	-	1,2,3	-	-	-	1,2,3
20/14-15		1	-	-	-	1
36/15-16	सभी आपत्तिया निष्पादन लेखा परीक्षा में शामिल कर ली गयी है।					
54/17-18	-	1,2	-	-	-	1,2

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी
	शून्य		

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य**

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय उप निबन्धक - द्वितीय हरिद्वार** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

   शून्य टिप्पणी

2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्रीमती भावना कश्यप	उप.निबन्धक-II हरिद्वार

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय उप निबन्धक - द्वितीय हरिद्वार** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
राजस्व क्षेत्र